जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,

ग्राम मदाऊ, पोस्ट भांकरोटा, जयपुर–302026

कमांक : प( )जरारासंविवि / शैक्ष. / 17 / दिनांकः

कार्यपरिषद् की 54 वीं बैठक दिनांक 29.06.2017 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 54 वीं बैठक का आयोजन दिनांक 29.06.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित सभाकक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1. प्रो. विनोद कुमार शर्मा, माननीय कुलपति महोदय – अध्यक्ष
2. श्री हजारी लाल बैरवा, प्राचार्य राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, तलावगांव दौसा
3. प्रो. ताराशंकर शर्मा, आचार्य साहित्य विभाग, जरारासंविवि, जयपुर
4. प्रो. लालचन्द शर्मा, दर्शन संकायाध्यक्ष, राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर।
5. श्रीमती सोविला माथुर, RAS कुलसचिव–सदस्य सचिव, जरारासंविवि, जयपुर
6. श्री देवकी नन्दन गर्ग, कार्यवाहक वित्त नियंत्रक, विशेष आंमत्रित, जरारासंविवि, जयपुर।
7. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सहायक कुलसचिव, विशेष आंमत्रित, जरारासंविवि, जयपुर।

प्रो. ताराशंकर शर्मा द्वारा वैदिक मंगलाचरण के उपरान्त बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

बिन्दु संख्या	बिन्दु	निर्णय
54–1	कार्यपरिषद् की 53 वीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि।	सर्वससम्मति से पुष्टि की गई, मा. कुलपति महोदय के निर्देशानुसार पालना रिपोर्ट आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत की जावें।
54–2	परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 28.06.2017 का कार्यवाही विवरण विचारार्थ / अनुमोदनार्थ। (अनुसंधान केन्द्र)	आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
54–3	परीक्षा शाखा से प्राप्त यूओ. नोट क्रमांक 1931 दिनांक 12.04.2017 के द्वारा परीक्षा सत्र 2016–17 में परीक्षा कार्यो की सीलिंग सीमा निर्धारित करवाने का प्रकरण	विश्वविद्यालय के परीक्षा संबंधी कार्य के लिए शिक्षको / अधिकारियों / कर्मचारियों की सीलिंग सीमा 01 लाख रू. तक परीक्षा वर्ष 2017 से किये जाने

	विचारार्थ / निर्णयार्थ। (परीक्षा गोपनीय)	का निर्णय लिया गया।
54–4	परीक्षा विभाग से प्राप्त यू.ओ.नोट क्रमांक 8099 दिनांक 28.06.17 में विश्वविद्यालय के द्वारा शास्त्री / आचार्य / शिक्षाशास्त्री की परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा गोपनीय सामग्री निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्रों पर पहॅचाने हेतु विश्वविद्यालय कार्मिकों को उक्त कार्य हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा प्रति कार्मिक 250 / – प्रतिदिन हार्डड्यूटी भत्ता का भुगतान किया जाता है। वर्तमान की मंहगाई की परिस्थियों को देखते हुए उक्त कार्य हेतु विश्वविद्यालय कार्मिकों को प्रतिदिन 700–/ हार्डड्यूटी भत्ता एवं डीए नियमानुसार भुगतान दिये जाने का प्रकरण विचारार्थ / निर्णयार्थ। (परीक्षा)	प्रकरण को आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
54–5	पीएसएसटी शाखा से प्राप्त यू.ओ. नोट क्रमांक 5036 दिनांक 15.2.17 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ। (पीएसएसटी)	माननीय कुलपति महोदय के पूर्व के किये गये निर्णय का अनुमोदन किया गया।
54–6	पीएसएसटी शाखा से प्राप्त यू.ओ. नोट क्रमांक 3811 दिनांक 29.12.16 के द्वारा कार्यपरिषद् की 52 वीं बैठक दिनांक 21.10.2016 में लिये गये निर्णय संख्या 52–26 द्वारा पीएसएसटी– 2014 एवं 2015 में पूर्ण हो चुके कार्यों हेतु कार्मिकों के मानदेय हेतु सीलिंग सीमा निर्धारित की गयी जबकि कार्यपरिषद् की 49 वीं बैठक दिनांक 9.9.15 के निर्णय 49–13 द्वारा परीक्षा अनुभाग के कार्मिकों को वर्ष 2015 का देय मानदेय हेतु सीलिंग सीमा मुक्त रखा गया। इसके अनुरूप पीएसएसटी वर्ष 2014 एवं 2015 में पूर्व में संपादित कार्यों हेतु कार्मिकों का देय निर्धारित मानदेय हेतु सीलिंग सीमा मुक्त रखे जाने एवं पीएसएसटी वर्ष 2016 के कार्यों हेतु कार्मिकों को देय मानदेय सीलिंग सीमा 60,000 / – रखते हुए संशोधित मानदेय स्वीकृति का प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ। (पीएसएसटी / परीक्षा)	विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् 49–13 में वर्ष 2014–15 की सीलिंग सीमा को मुक्त रखे जाने का निणर्य पूर्व में लिया गया था। 52 वीं कार्यपरिषद् की बैठक में भुगतान की अपेक्षा सींलिग सीमा 60000 / – का निर्णय लिया गया था। परीक्षा वर्ष 2014 व 2015 में सिंलिग सीमा मुक्त होने के कारण विश्वविद्यालयशिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों को सींलिग सीमा से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया । परीक्षा वर्ष 2016 में सींलिग सीमा राशि रू. 60,000 / – रखे जाने का निर्णय लिया गया।

54–7	अध्यक्ष, राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा विश्वविद्यालय के मंत्र प्रतिष्ठान के कार्य हेतु की गई यात्रा के बिल भुगतान हेतु प्रकरण विचारार्थ / निर्णयार्थ। **(सामान्य प्रशासन)**	विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मंत्र प्रतिष्ठान हेतु मा. कुलपति महोदय एवं डॉ. जया दवे, अध्यक्ष, राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान सरकार (राज्य मंत्र स्तर) द्वारा मुम्बई–उड्डपी–मैंगलोर इत्यादि की यात्रा की गई। कुलपति महोदय द्वारा केवल मुम्बई तक की यात्रा की गई है, इस हेतु डॉ. जया दवे द्वारा ठहरने, गाडी, भोजन इत्यादि पर किये गये वास्तविक भुगतान, शपथ पत्र (Affidavit) लेकर Self Boucher के आधार पर भुगतान का प्रमाणीकरण करवाकर डॉ. जया दवे द्वारा किया गया व्यय की राशि रू. 64,552 / – का पुनर्भरण किये जाने का निर्णय लिया गया।
54–8	विशिष्ट वादों में अधिवक्ता नियुक्त करना एवं फीस निर्धारण का प्रकरण विचारार्थ / निर्णयार्थ। **(संस्थापन)**	विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण कार्यो हेतु अधिवक्ताओं का सामान्य मानदेय दरों पर उच्च स्तरीय अधिवक्ता उपलब्ध नही हो पा रहें है, इस संबंध में विस्तृत विचार–विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि विशिष्ट प्रकृती के वादों / प्रकरणों में उच्च स्तरीय अधिवक्ताओं को विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर फीस की अधिकतम सीमा 1 लाख रूपये दिये जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु मा. कुलपति महोदय को पूर्णतया अधिकृत किया गया।

54–9	सहायक आचार्य योग विभाग के भर्ती हेतु आगामी कार्यवाही हेतु प्रकरण विचारार्थ / निर्णयार्थ। **(संस्थापन)**	विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य योग के साक्षात्कार दिनांक 04.01.2017 को स्थगित अपरिहार्य कारणों से किये गये थे। तत्पश्चात् आयुक्त विशेष योग्य जन की बैठक में दोनो पद सामान्य श्रैणी से भर्ती किये जाने का निर्णय गत 53 वीं कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त क्रम में उच्च स्तरीय श्री अनील कुमार शर्मा, द्वारा विधिक राय ली गई, जिस पर विस्तृत विचार–विमर्श कर शीघ्र ही सहायक आचार्य योग के पदों पर पूर्व आवेदन कर्ताओं से ही पूर्व प्रक्रियानुसार साक्षात्कार कराये जाने का निर्णय कर संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में प्रेषित मानदेय राशि रू. 25000 / – का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।
54–10	राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में सहभागिता का प्रकरण विचारार्थ / निर्णयार्थ। **(शैक्षणिक)**	विश्वविद्यालय एवं राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत के प्रचार–प्रसार, सगोष्ठियां आयोजन एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु वित्तीय व अन्य आपसी सहयोग के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
54–11	संविदा शिक्षकों का विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य के अन्तर्गत अधिकतम 25000 / – प्रतिमाह प्रति शिक्षक अधिकतम सीमानुसार यू.जी. हेतु 600 / – प्रति कालांश एवं पी.जी. हेतु 900 / – प्रति कालांश मानदेय दिये जाने का प्रकरण विचारार्थ / निर्णयार्थ। **(सामान्य प्रशासन)**	संविदा शिक्षको को विश्वविद्यालय द्वारा नई निविदा जारी कर प्लेसमेन्ट एजेन्सी / फर्म तय होने से मासिक अधिकतम मानदेय 25000 / – एवं शैक्षणिक परिसर के लिए निर्धारित समयानुसार एवं बायोमेट्रीक में अनिवार्य रूप से उपस्थिति देनी होगी, योग विभाग के शिक्षकों का मानदेय 45000 / – प्रति शिक्षक दिये जाने का निर्णय लिया गया।
54–12	विश्वविद्यालय की वेबसाईट अपग्रेड करने एवं दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रसारण के सहयोग / प्रोग्राम तैयार करने हेतु कन्सलटेन्ट को प्रतिमाह 25000 / – मानदेय दिये जाने का प्रकरण विचारार्थ / निर्णयार्थ। **(सामान्य प्रशासन)**	प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया एवं संबंधित कन्सलटेन्ट को संविदा एजेन्सी के माध्यम से विश्वविद्यालय की समय–समय पर वेबसाईट अपग्रेड करने, जनसम्पर्क का कार्य करने एवं दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रसारण के सहयोग / प्रोग्राम तैयार करने